न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 369 / 2024

अनवान : –

1. गोपाल सिंह पुत्र नागरसिंह जाति राजपुत निवासी सुनारो का कुआ के पास चुरू तहसील व जिला चुरू।

– वादी

बनाम्

1. रामसिंह पुत्र नागरसिंह जाति राजपुत निवासी सुनारो का कुआ के पास चुरू तहसील व जिला चुरू।
2. लक्ष्मण सिंह पुत्र नागरसिंह जाति राजपुत निवासी सुनारो का कुआ के पास चुरू तहसील व जिला चुरू।
3. किरण पुत्री नागरसिंह जाति राजुपत निवासी सुनारो का कुआ के पास चुरू तहसील व जिला चुरू।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 27/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मन्सरी तहसील नोहर के खाता संख्या 36 / 115 की कुल 15.4160 हैक्ट भूमि में से 321 / 15416 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता संख्या 30 / 158 कि कुल 5.0580 हैक्ट भूमि में से 1 / 24 हिस्सा भूमि सजन कंवर पुत्री मोहन सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सजन कंवर पुत्री सोहन सिंह के नाम दर्ज जो की वादी की माता है। सजन कंवर पुत्री सोहन सिंह का देहान्त हो चुका है तथा सजन कंवर पुत्री सोहन सिंह स्वर्गवास के बाद जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 बहिब काबिज है वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:24:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र सजन कंवर, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सजन कंवर पुत्री सोहन सिंह के नाम दर्ज जो की वादी की माता है। सजन कंवर पुत्री सोहन सिंह का देहान्त हो चुका है तथा सजन कंवर पुत्री सोहन सिंह स्वर्गवास के बाद जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 बहिब काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मन्सरी तहसील नोहर के खाता संख्या 36/115 की कुल 15.4160 हैक्ट भूमि में से 321/15416 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता संख्या 30/158 कि कुल 5.0580 हैक्ट भूमि में से 1/24 हिस्सा भूमि सजन कंवर पुत्री मोहन सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे सजन कंवर पुत्री सोहन सिंह के नाम दर्ज जो की वादी की माता है। सजन कंवर पुत्री सोहन सिंह का देहान्त हो चुका है तथा सजन कंवर पुत्री सोहन सिंह स्वर्गवास के बाद जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:24:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है। वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 बहिब काबिज है, प्रतिवादीगण द्वारा वादी के उक्त कथनो को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता संख्या 36/115 की कुल 15.4160 हैक्ट भूमि में से 321/15416 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता संख्या 30/158 कि कुल 5.0580 हैक्ट भूमि में से 1/24 हिस्सा भूमि सजन कंवर पुत्री मोहन सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में सजन कंवर पुत्री सोहनसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:24:57 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 369 / 2024

अनवान : –

1. गोपाल सिंह पुत्र नागरसिंह जाति राजपुत निवासी सुनारो का कुआ के पास चुरू तहसील व जिला चुरू।

– **वादी**

बनाम्

1. रामसिंह पुत्र नागरसिंह जाति राजपुत निवासी सुनारो का कुआ के पास चुरू तहसील व जिला चुरू।
2. लक्ष्मण सिंह पुत्र नागरसिंह जाति राजपुत निवासी सुनारो का कुआ के पास चुरू तहसील व जिला चुरू।
3. किरण पुत्री नागरसिंह जाति राजुपत निबासी सुनारो का कुआ के पास चुरू तहसील व जिला चुरू।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 369 सन 2024 निर्णय दिनांक 27/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री चन्द्रशेखर एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता संख्या 36 / 115 की कुल 15.4160 हैक्ट भूमि में से 321 / 15416 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता संख्या 30 / 158 कि कुल 5.0580 हैक्ट भूमि में से 1 / 24 हिस्सा भूमि सजन कंवर पुत्री मोहन सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में सजन कंवर पुत्री सोहनसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:24:57 IST
Reason: SelfAttested